भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1586
सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आवंटित की गई राहत निधि

1586. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान बाढ़, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आवंटित राहत निधि के आंकड़े हैं और यदि हां, तो उक्त राशि जारी करने के संबंध में इंगित तिथियां और राशि प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम सहित जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान वास्तव में स्वीकृत निधि की तुलना में प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई निधि का ब्यौरा है और ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था या आस्थगित रखा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय (एमएचए) की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से, राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) के केंद्रीय हिस्से, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से सहायता के रूप में राज्यों को कुल 77,089.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। जारी की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, प्राकृतिक आपदा से होने वाले प्रारंभिक नुकसान के आकलन सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उनके पास पहले से मौजूद एसडीआरएफ से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन और क्षति के मूल्यांकन के आधार पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा निधियों की स्वीकृति शामिल है।

*****

दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1586 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए आपदा प्रबंधन अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	940.00	987.20	1833.70	3760.90
2	अरुणाचल प्रदेश	210.40	220.80	170.03	601.23
3	असम	898.80	843.00	745.02	2486.82
4	बिहार	1338.30	1553.60	1795.10	4687.00
5	छत्तीसगढ़	181.60	272.40	414.04	868.04
6	गोवा	13.20	10.80	46.90	70.90
7	गुजरात	959.80	1279.00	673.17	2911.97
8	हरियाणा	562.60	433.60	561.00	1557.20
9	हिमाचल प्रदेश	599.46	1190.85	647.62	2437.93
10	झारखंड	113.60	476.80	1027.20	1617.60
11	कर्नाटक	1603.83	697.60	4332.06	6633.49
12	केरल	264.00	378.30	362.30	1004.60
13	मध्य प्रदेश	1719.90	1997.40	2097.90	5815.20
14	महाराष्ट्र	3593.60	3275.40	3919.40	10788.40
15	मणिपुर	35.20	18.80	62.15	116.15
16	मेघालय	27.20	27.20	71.58	125.98
17	मिजोरम	53.50	56.90	72.36	182.76
18	नागालैंड	146.00	50.30	229.81	426.11
19	ओडिशा	1516.50	1937.50	1902.09	5356.09
20	पंजाब	515.00	595.40	599.90	1710.30
21	राजस्थान	1413.86	1789.60	1715.00	4918.46
22	सिक्किम	47.70	143.19	297.18	488.07
23	तमिलनाडु	1167.90	1007.10	1880.84	4055.84
24	तेलंगाना	188.80	584.80	534.58	1308.18
25	त्रिपुरा	63.90	67.90	258.01	389.81
26	उत्तर प्रदेश	1401.60	2294.20	2369.15	6064.95
27	उत्तराखंड	885.60	1131.40	1106.30	3123.30
28	पश्चिम बंगाल	955.80	1221.20	1404.77	3581.77
	कुल	**21417.65**	**24542.24**	**31129.15**	**77089.05**